प्ररूप 3

(नियम 54 (12) देखें)

कुटुंब के ब्यौरे

1. सरकारी सेवक का नाम.....
2. पदनाम.....
3. जन्म तारीख.....
4. कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे जैसे कि वे .....को थे ।

क्रम सं0	कुटुंब के सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	अधिकारी के साथ नातेदारी	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियां	कार्यालय अध्यक्ष के तारीख सहित हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

मैं_____कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिन्टियों को अद्यतन रखने का एतद्द्वारा वचन देता हूँ ।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

टिप्पण - 1 सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए । स्तंभ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सभी परिवर्धन/परिवर्तन इस प्ररुप में अभिलिखित किए जाएं तथा नया प्ररुप न भरा जाए । सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को कुटुंब के ब्यौरे को प्ररुप 5 के साथ दोबारा प्रस्तुत करना चाहिए ।

टिप्पण - 2 पति या पत्नी के ब्यौरे, सभी बालक और माता-पिता (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिए जा सकेंगे ।

टिप्पण - 3 कार्यालय अध्यक्ष ''टिप्पणयाँ'' स्तंभ में कुटुंब के परिवर्धन या परिवर्तन के वि-नय में संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा । निःशक्तता के बारे में तथ्य या कुटुंब सदस्य के वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन भी ''टिप्पणियां'' स्तंभ में उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

टिप्पण - 4 पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे ।

प्ररुप 24

(नियम 32 देखिए)

पेंशन के लिए सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र का प्ररुप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख.....को.....वर्ष.....मास और.....दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है । सेवा का सत्यापन उसके सेवा दस्तावेजों के आधार पर इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है । केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नयम 32 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तो को जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हित होती है, शासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो ।

अर्हक सेवा के ब्यौरे

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग, कार्यालय का नाम	तारीख से	तारीख तक	अर्हक सेवा की अवधि

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मुहर

सेवा में,

श्री.....

(नाम और पदनाम)''